

सुनी गई तथा पत्रावली न  
उपलब्ध सत्री दस्तावेजों का  
अवलोकन किया गया यह  
न्यायचित प्रतीत नहीं होता  
कि इस संबंध में अस्थाई  
निषेधाज्ञा जारी की जाये।  
अतः पार्श्वी का अधिना क  
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली  
केवल सुमाट होकर नम्बर से  
रुम की जाकर दाखिल दफतर  
की जाती है।

WS  
उप जिला कल  
धीय का बर

